Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में सहायक उप निरीक्षक को 2 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज रविवार को श्रीगंगानगर में कार्यवाही करते हुये बालूराम सहायक उप निरीक्षक थाना सदर, श्रीगंगानगर को 2 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा थाना सदर में प्रस्तुत किये गये परिवाद पर कार्यवाही करने की एवज में द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री वेद प्रकाश लखोटिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उनकी टीम** के द्वारा श्रीगंगानगर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये बालूराम पुत्र भादरराम निवासी गली नं. 2, चक 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर हाल सहायक उप निरीक्षक थाना सदर, श्रीगंगानगर को परिवादी से 2 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिश्वत की राशि परिवादी से दो–दो, तीन–तीन हजार की किश्तों में लेना तय किया था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।